

कार्यालय:— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर(म.प्र.)

क्रमांक 157/2025

ग्वालियर, दिनांक - 21/02/2025

आदेश

माह मार्च एवं अप्रैल 2025 में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश (रविवार, शनिवार, सार्वजनिक एवं घोषित अवकाश) में रिमांड ड्यूटी एवं अन्य आवश्यक न्यायालयीन आपराधिक कार्य के संबंध में निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने-अपने न्यायालय में अपने कार्य के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों तथा संबंधित थानों के आवश्यक कार्य माह में दी गई तिथि पर दिन के 3 बजे से 5 बजे तक उपस्थित होकर संपादित करेंगे व उनके सहयोग हेतु उनके न्यायालय का स्टाफ उपस्थित रहेगा। उक्त तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।

क्र.	नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	मार्च	अप्रैल
1	सुश्री स्वाति जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	01	
2	सुश्री फाल्गुनी शर्मा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	02	
3	श्री कुणाल वर्मा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	09	
4	श्री मानवेन्द्र सिंह यादव जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	14	
5	श्री विशाल जेठवा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	15	
6	श्री निशांत बसोया जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	16	
7	सुश्री अर्पिता त्रिपाठी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	23	
8	श्री शिवकांत कुशवाह जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	30	
9	श्री नीलेश गुलकर जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	31	
10	श्री सुयश परनाम जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर		06
11	सुश्री अदिति कैथवास जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर		10
12	श्री ओमप्रकाश परमार जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर		13
13	सुश्री ज्योत्सना प्रेबियल जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर		14
14	सुश्री पारुल गोहिया जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर		18

15	सुश्री दिव्यांशी मंडराई जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर		19
16	सुश्री मधुलिका खत्री जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर		20
17	श्री रातिंदर पान्नु जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर		27
डबरा			
18	श्री यश कुमार सिंह जे.एम.एफ.सी. डबरा	30 31	10
19	श्री भूपेन्द्र कुशवाह जे.एम.एफ.सी. डबरा	23	13 14
20	श्रीमती आयूषी अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. डबरा	01 02	06
21	श्री देवांश अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. डबरा	14 15 16	27
22	सुश्री राजेश्वरी जर्मन जे.एम.एफ.सी. डबरा	09	18 19 20
भितरवार			
23	श्री राकेश सिंह जे.एम.एफ.सी. भितरवार	14 15 16 30 31	18 19 20
24	श्री पंकज गोंडू भालेराव जे.एम.एफ.सी. भितरवार	01 02 09 23	06 10 13 14 27

आवश्यक निर्देश

- सामान्य कार्य दिवस में यदि शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई अतिरिक्त अवकाश घोषित किया जाता है तो माह **मार्च एवं अप्रैल 2025** में अवकाश घोषित किये जाने पर अवकाश दिनांक को रिमाण्ड निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

ए. ग्वालियर में माह **मार्च एवं अप्रैल 2025** में सुश्री उपमा भार्गव, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर, डबरा में श्री सुश्री राजेश्वरी जर्मन, जे.एम.एफ.सी. डबरा, भितरवार में श्री पंकज गोंडू भालेराव, जे.एम.एफ.सी. भितरवार रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

बी. इसी प्रकार यदि कोई पूर्व घोषित अवकाश शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाता है तो उक्त दिनांक के लिए नियत की गई रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त मानी जावेगी तथा यदि उसके स्थान पर किसी दूसरे दिन अवकाश घोषित किया जाता है, तो उस स्थिति में वही न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करेगा, जिसकी पूर्व में निरस्त अवकाश वाले दिन रिमाण्ड ड्यूटी थी।
- यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण/प्रमोशन आदि हो जाता है तो उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर आने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी मानी जावेगी और उन्हें कार्य संपादित करना होगा।
- भितरवार स्थित पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति या अवकाश की दशा में रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य डबरा तहसील मुख्यालय के उपलब्ध रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।

4. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जब भी मुख्यालय अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत करें, तो उसमें यह अवश्य उल्लिखित करें कि जिन दिनांकों में मुख्यालय अवकाश चाहा गया है, उनमें उनकी रिमाण्ड ड्यूटी नहीं है और यदि उनकी रिमाण्ड ड्यूटी है, तो अपने आवेदन पर अपने साथी किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की उक्त दिनांकों पर रिमाण्ड ड्यूटी की सहमति प्राप्त कर आवेदन प्रेषित करें।

5. पीठासीन अधिकारी के आकस्मिकता की स्थिति में अनुपस्थिति या अवकाश की दशा में रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित किये जाने पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।

सही /
(प्रशान्त पाण्डेय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ग्वालियर

ग्वालियर दिनांक. 21/02/2025

पृष्ठांकन क्रमांक /57/2025

1. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (निरीक्षण) ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. माननीय विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर / डबरा / गितरवार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं एस.डी.ओ.पी. ग्वालियर / डबरा / गितरवार की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव वार एसोसियेशन ग्वालियर / डबरा / गितरवार जिला ग्वालियर की ओर अवगत कराये जाने हेतु।
7. केन्द्रीय पंजीयन कार्यालय जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. जिला अभियोजन अधिकारी ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. सिस्टम ऑफीसर कम्प्यूटर अनुविभाग, जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त रिमाण्ड ड्यूटी आदेश समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर / डबरा / गितरवार के ई-मेल पर अपलोड किये जाने बाबत।

सही /
(प्रशान्त पाण्डेय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ग्वालियर